



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अप्रैल 2014—वैशाख 6, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए-3-11-2014-1-पांच (17).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

अनुसूची-2 में, भाग-तीन में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“6. टेलीफोन, सेल्यूलर हैंड सेट तथा  
फेबलेट 13”.

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए-3-11-2014-1-पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2014-1-पांच (17), दिनांक 26 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 26th April 2014

No. F-A-3-11-2014-1-V-(17).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule II of the said Act, namely:—

**AMENDMENT**

In Schedule II in Part-III, after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“6. Telephone, cellular hand set and Phablet.	13”.
--	------

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy.Secy.